

परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 30 अप्रैल 2015 पर आधारित है।



## परियोजना डेटा शीट

परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त सूचना होती है। चूंकि पीडीएस एक प्रगति अधीन कार्य होता है, कुछ सूचनाएं इसके प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं हो सकती हैं, परंतु इनके उपलब्ध होने पर शामिल कर ली जाएंगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनन्तितम और संकेतात्मक है।

पीडीएस सृजन तिथि –

पीडीएस अद्यतनीकरण की तिथि 2 अप्रैल 15

परियोजना का नाम द्वितीय ग्रामीण कनेक्टिविटी निवेश कार्यक्रम

देश भारत

परियोजना/कार्यक्रम संख्या 48226-001

स्थिति अनुमोदित

भौगोलिक अवस्थिति –

इस प्रलेख में किसी कंट्री कार्यक्रम या रणनीति तैयार करने, किसी परियोजना के वित्तपोषण, अथवा किसी विशेष भूभाग अथवा भौगोलिक क्षेत्र को कोई पदनाम देने, अथवा संदर्भित करने में एशियाई विकास बैंक का आशय किसी भूभाग अथवा क्षेत्र की स्थिति के बारे में कानूनी या अन्य प्रकार से राय प्रकट करना नहीं है।

क्षेत्र परिवहन

उपक्षेत्र सड़क परिवहन (गैर-शहरी)

रणनीतिक कार्यसूची समावेशी आर्थिक विकास (आईईजी)

परिवर्तन के प्रेरक लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण (जीईएम)  
शासन और क्षमता विकास (जीसीडी)  
ज्ञान समाधान (केएनएस)  
निजी क्षेत्र विकास (पीएसडी)

लिंग मुख्यधारा में जोड़ने वाले संवर्ग संवर्ग 3 : कुछ लैंगिक तत्व (एसजीई)

परियोजना प्रायोजक –

## ■ वित्तपोषण

सहायता का प्रकार/रूपात्मकता	अनुमोदन संख्या	वित्तपोषण का स्रोत	अनुमोदित राशि (हजार)
तकनीकी सहायता	8828	तकनीकी सहायता विशेष निधि	500
–	–	पूरक	125
योग			यूएस\$ 625

## ■ संरक्षा संवर्ग

संरक्षा संवर्गों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया <http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories> देखें

पर्यावरण

–

अस्वैच्छिक पुनर्वास

–

स्वदेशी लोग

–

## ■ पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश

पर्यावरण-पहलू

–

अस्वैच्छिक पुनर्वास

–

स्वदेशी लोग

–

## ■ स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान

इसके संभावित लाभार्थी समुदाय निवासी हैं, जिनमें किसान, महिलाएं तथा गरीब परिवार, वाणिज्यिक सेवा प्रदाता, परिवहन प्रदाता, सरकारी कर्मी जैसेकि स्वास्थ्य कर्मी, अध्यापक और कृषि विस्तार कर्मी। समुदाय परामर्श के दौरान निवेश कार्यक्रम के संबंध में उनकी राय तथा सुझाव सुनिश्चित किए जाएंगे।

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान

तैयारी के चरण में, परियोजना-प्रभावित समुदायों के भीतर चर्चा, साक्षात्कार तथा लघु समूह बैठकें संचालित की जाएंगी, ताकि निवेश कार्यक्रम के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया, उनकी जरूरतें और मांग, उनकी सम्पत्तियों से हानियों का पूर्वानुमान और उनके उपशमन के उपाय अभिनिश्चित किए जा सकें। सभी पांच राज्यों में निवेश कार्यक्रम का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने के लिए,

---

साक्षात्कार तथा लघु समूह बैठकों में पुरुषों, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य उपेक्षित वर्गों को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक समुदाय प्रतिभागिता ढांचा तैयार किया जाएगा। इसको डीएमएफ में शामिल किया जाएगा तथा डिजाइन प्रोसेस के दौरान 100 प्रतिशत प्रभावित समुदायों के साथ परामर्श किया जाएगा। हर परियोजना मार्ग में एक समुदाय प्रतिभागिता योजना होगी।

---

## ■ विवरण

---

प्रस्तावित परिणाम-आधारित निवेश कार्यक्रम द्वारा असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में लगभग 6,000 किलोमीटर पक्की ग्रामीण सड़कों के निर्माण द्वारा लगभग 2,800 बस्तियों को जोड़ा जाएगा। भौतिक अवसंरचना में निवेश को कारगर तथा स्थायी बनाने के लिए, निवेश कार्यक्रम में संस्थानिक व्यवस्थाओं, व्यवसाय प्रोसेस तथा संबंधित क्षमता निर्माण विशेषकर सड़क आरिष्ठ प्रबंधन तथा सड़क सुरक्षा के सुधार पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

---

## ■ परियोजना तर्काधार और कंट्री/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध

---

प्रापण तथा परामर्श-सूचनाएं  
<http://www.adb.org/projects/48226-001/business-opportunities>

---

## ■ विकास प्रभाव

---

–

---

## ■ परियोजना परिणाम

---

परिणाम का वर्णन	परिणाम की दिशा में प्रगति
–	–

---

## ■ आउटपुट्स और कार्यान्वयन प्रगति

---

परियोजना आउटपुट्स का वर्णन	कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां और मुद्दे)
–	–

---

विकास परियोजनाओं की स्थिति	कार्य/निर्माण की स्थिति
–	–

---

महत्वपूर्ण परिवर्तन

---

–

---

## ■ व्यवसाय के अवसर

प्रथम सूचीयन की तिथि

16 दिसम्बर 14

परामर्शी सेवाएं

पीपीटीए के तहत परामर्शी सेवाओं के कुल 39 व्यक्ति-माह अपेक्षित होंगे (9 अंतरराष्ट्रीय तथा 30 राष्ट्रीय)। एडीबी द्वारा सभी व्यक्तिगत परामर्शदाताओं की नियुक्ति परामर्शदाताओं के उपयोग के विषय में इसके दिशानिर्देश (2013 समय-समय पर संशोधित अनुसार) का अनुसरण किया जाएगा। टीए के तहत संवितरण एडीबी की तकनीकी सहायता संवितरण पुस्तिका (2010 समय-समय पर संशोधित अनुसार) का अनुसरण किया जाएगा।

अधिप्राप्ति

उपस्कर के प्रापण में एडीबी के प्रापण दिशानिर्देश (2013 समय-समय पर संशोधित अनुसार) का पालन किया जाएगा। टीए पूर्ण होने पर उपस्कर सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। परामर्श सेवाओं की आवश्यकताओं का संक्षिप्त विवरण तालिका क3.3 में प्रस्तुत किया गया है।

प्रापण और परामर्शी सूचनाएं

<http://www.adb.org/projects/48226-001/business-opportunities>

## ■ समयतालिका

अवधारणा मंजूरी

–

सम्यक् सतर्कता मिशन

–

निवेश समिति बैठक

–

अनुमोदन

16 दिसम्बर 14

## ■ मीलपत्थर

अनुमोदन संख्या	अनुमोदन	हस्ताक्षर	प्रभावोत्पादकता	अनुमोदन समापन		
				मूल	संशोधित	वास्तविक
तकनीकी सहायता 8828	16 दिसम्बर 14	26 मार्च 15	26 मार्च 15	30 जून 17	–	–

## ■ उपयोग

तिथि	अनुमोदन संख्या	एशियाई विकास बैंक (यूएस \$ हजार)	अन्य (यूएस \$ हजार)	शुद्ध प्रतिशत
संचयी सविदा पुरस्कार				
–	–	–	–	–
संचयी संवितरण				
–	–	–	–	–

## ■ तकनीकी सहायता राशि (यूएस\$ हजार)

अनुमोदन संख्या	अनुमोदित राशि	संशोधित राशि	कुल प्रतिबद्धता	अप्रतिबद्ध शेष	कुल संवितरण	असंवितरित शेष
तकनीकी सहायता 8828	500	500	0	500	0	500

## ■ प्रसंविदाओं की स्थिति

प्रसंविदाएं निम्नलिखित संवर्गों में वर्गीकृत की गई हैं — लेखापरीक्षित परियोजना वित्तीय विवरण, सुरक्षा उपाय, सामाजिक, क्षेत्र, वित्तीय, आर्थिक और अन्य। प्रसंविदाओं अनुपालन का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर संवर्गों द्वारा किया जाता है : (i) संतोषजनक — इस संवर्ग में सभी प्रसंविदाओं का अनुपालन किया जाता है, अधिकतम एक अपवाद के साथ, (ii) आंशिक संतोषजनक — इस संवर्ग में अधिकतम दो प्रसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, (iii) असंतोषजनक — इस संवर्ग में तीन या अधिक प्रसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, सार्वजनिक संचार नीति 2011 के अनुसार, परियोजना वित्तीय विवरणों हेतु प्रसंविदा अनुपालन मूल्यांकन केवल उन परियोजनाओं पर लागू होता है जिनका वार्तालय हेतु आमंत्रण 2 अप्रैल 2012 के पश्चात निर्धारित है।

अनुमोदन संख्या	संवर्ग						परियोजना वित्तीय विवरण
	क्षेत्र	सामाजिक	वित्तीय	आर्थिक	अन्य	सुरक्षा उपाय	
—	—	—	—	—	—	—	—

## ■ सम्पर्क और अद्यतन विवरण

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	चेन चैन (cchen@adb.org)
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	परिवहन और संचार प्रभाग, एसएआरडी
निष्पादक अभिकरण	—

## ■ सम्पर्क

परियोजना वेबसाइट	<a href="http://www.adb.org/projects/48226-001/main">http://www.adb.org/projects/48226-001/main</a>
परियोजना प्रलेखों की सूची	<a href="http://www.adb.org/projects/48226-001/documents">http://www.adb.org/projects/48226-001/documents</a>